to thwart this bid by a section of the blanket manufacturers to seek profitable outlets for their products ; and

(c) who are the members of this syndicate who have devised such means of cheating the Government and Defence personnel ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI K.P. SINGH DEO) : (a) Yes, Sir. We have, however, no information to substantiate the reported formation or operation of an informal syndicate for supplying sub-standard blankets to the Defence Department, as mentioned in the news item referred to.

(b) and (c). Do not arise in view of the answer given to part (a) of the Question.

Pak-Bangladesh Fresh Bid for Defence Pact

3448. SHRI SANAT KUMAR MANDAL : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Pakistan has reportedly made a fresh bid for a defence pact with Bangladesh ;

(b) if so, whether Government have studied its impact on India's security and sovereignty ; and

(c) the steps being taken to meet this new threat posed by the revival of the Pak-Bangla defence pact plan ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI K.P. SINGH DEO) : (a) to (c). While there have been some press reports, Government have no confirmed information on the subject.

Government maintain a watch on all developments likely to affect India's security interests and take all necessary steps to safeguard them.

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का कार्यान्वयन

3449. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित 14 मुद्दों को देश में क, ख और ग क्षेत्र के सभी राज्यों में दूभाषिक रूप से कार्यान्वित करने का उपबन्ध है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय, उनके विभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और क, ख, ग, क्षेत्रों के राज्यों में स्थित उपक्रमों में 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में धारा 3(3) के कार्यान्वयन की प्रतिशतता का वर्ष-वार और राज्यवार ब्योरा क्या है ;

(ग) उक्त सभी तीन क्षेत्रों में उक्त सभी 14 मुद्दों का शत-प्रतिशत कार्य दूभाषिक करने में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(घ) उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते । जहां तक मंत्रालय का संबंध है, 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 (दिसम्बर, 1983 तक) के दौरान राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के उपबन्धों का कार्यान्वयन किया जाता रहा है। संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों के संबंध में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किये गये हैं ।

(ग) कोई विशिष्ट कठिनाई नहीं महसूस की जा रही है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का कार्यान्वयन

3450. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज भाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित 14 मुद्दों को देश के "क", "ख" और "ग" तीनों क्षेत्रों के राज्यों में द्विभाषी रूप में क्रियान्वित करने का प्रावधान है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय, विभागों और "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों के राज्यों में स्थित संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों द्वारा वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान धारा 3(3) के कार्यान्वयन की प्रतिशत का पृथक रूप से राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन सभी तीनों क्षेत्रों के राज्यों में उपर्युक्त 14 मुद्दों के कार्य को शत-प्रतिशत द्विभाषी रूप में करने में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) (क) से (घ) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में संकल्प, सामान्य आदेश नियम, अधिसूचना, रिपोर्टें, संविदाएं, करार आदि आते हैं जिनके लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है।

यह सूचना रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले सभी अधीनस्थ कार्यालयों निगमों आदि के बारे में राज्यवार/क्षेत्रवार केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है। फिर भी रक्षा मंत्रालय और उसके अन्तर्गत आने वाले कुछ प्रमुख कार्यालयों के बारे में वर्षवार सूचना नीचे दी जा रही है :—

कार्यालय का नाम	धारा 3(3) को पूरा करने का प्रतिशत		
	1981-82	1982-83	1983-84
मंत्रालय	100%	100%	100%
मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय	79%	62%	72%
थलसेना	49%	42½%	37%
नौसेना	40%	53%	65%
वायुसेना	15%	20%	20%
सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय	98%	99%	99%
सेना चित्र प्रभाग	100%	100%	100%
अनुसंधान तथा विकास संगठन	68%	72%	73%

पर्याप्त संख्या में अर्हता प्राप्त प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी जैसी कठिनाइयों को दूर करके अधिनियम में की गई व्यवस्था का पूरा पालन करने के निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

"झाबुआ धार रीजनल रूरल बैंक के निदेशक बोर्ड में लाभार्थियों के प्रतिनिधि की नियुक्ति"

3451. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित झाबुआ धार रीजनल रूरल बैंक के निदेशक बोर्ड में झाबुआ जिले के लाभार्थियों के किसी प्रतिनिधि को नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो नियुक्त किये गये व्यक्ति का नाम क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ;

(घ) निदेशक बोर्ड में अब तक केन्द्रीय सरकार के दो प्रतिनिधियों को नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या झाबुआ जिले से किसी लोक प्रतिनिधि को केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों के स्थान पर नियुक्त किया जा सकता है ; और

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार निदेशक बोर्ड में झाबुआ के स्थान पर किसी अन्य क्षेत्र के प्रतिनिधि को नियुक्त करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) से (च) : प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निदेशक मण्डल में लाभार्थियों का प्रतिनिधि नामित करने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी जहां उचित व्यक्ति उपलब्ध हों/सुझाए गए हों वहां सरकार इन बैंकों के निदेशक मंडलों में से प्रत्येक निदेशक मंडल ऐसा एक गैर-सरकारी निदेशक नामित करने पर विचार करती है जिसे कृषि, लघु उद्योग या अन्य तत्संबंधी क्षेत्रों का ज्ञान हो। झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केन्द्रीय सरकार के कोटे के तीन स्थानों में से दो पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक (ग्रामीण योजना और ऋण विभाग) का एक-एक अधिकारी पहले से ही नामित है।

विमान चालक तथा विमान चालक दल सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए एशियाई देशों को पेशकश

3453. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** :
श्री जगपाल सिंह :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमान की मरम्मत तथा उसके अनुसरण की सुविधाओं को तथा उनके विमान चालकों तथा अन्य विमान चालक दल सदस्यों को प्रशिक्षण देने हेतु तथा इस उद्देश्य के लिए भारत में एक आधुनिक केन्द्र स्थापित करने के लिए एशियाई देशों में कोई पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो भारत में इस केन्द्र को कब तक स्थापित किया जाएगा और यह कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं, जिन्होंने पेशकश पर अपनी सहमति प्रकट की है तथा उन देशों के भी नाम क्या हैं, जो इससे असहमत हैं, अथवा जिन्होंने अपनी सहमति स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं की है ; और

(घ) इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है तथा प्रत्येक विदेशी सरकार द्वारा इसको कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी तथा इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) : दो पश्चिम